पत्रांक–2ब० / विविध–21–06 / 2017 5588 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

आर०के० महाजन,
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक, बिहार।

पटना, दिनांक– 24/8/17

विषयः– **बाढ़ प्रभावित शहरी क्षेत्रों से जल–निकासी के पश्चात् महामारी के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के कई शहरी क्षेत्र (नगर निकाय) वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ नगर निकायों से बाढ़ का पानी निकल चुका है तथा अन्य नगर निकायों से भी बाढ़ का पानी शीघ्र ही निकलने की सम्भावना है। आप अवगत है कि बाढ़ के पानी की निकासी के पश्चात् महामारी उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। सम्भावित महामारी की रोकथाम के लिए अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रभावित शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी के तुरन्त बाद महामारी को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा चूना का छिड़काव किया जाय। इसके लिए संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक को अधियाचना करेंगे। सभी असैनिक शल्य चिकित्सकों को निदेश दिया जाता है कि वे प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवश्यक मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का प्रबंध कर नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे अपने जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक से आवश्यक मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना प्राप्त कर प्रभावित क्षेत्रों में अपने स्तर से छिड़काव कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए सूचित करने की कृपा की जाय।

24/8/2017
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

24/8/17
(आर०के० महाजन),
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।